निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या **59/2025** (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

मोईनउद्दीन खान, 110-ए, हुसैन कॉलोनी, रामगढ़ मोड, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सेक्टर 7, शिप्रा पथ जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 04.09.2025**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 24.05.2025 को राज्य लोक सूचना अधिकारी के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय जयपुर द्वारा 2012-13 व 2013-14 में स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋण, जमा एवं रिकवरी से संबंधित सूचनाएं चाही गई थी। नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सेक्टर 7, शिप्रा पथ जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई, टिप्पणी अप्राप्त है। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी उपस्थित है।
3. अपीलार्थी को सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी से टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी को वांछित सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय में अभिलेखों पर उपलब्ध हो तो दी जा सकती है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।
5. राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना अविलम्ब निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फेसल हो।

निर्णय आज दिनांक **04.09.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner